मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट का फैसला, नियमावली के तहत इन्वेस्ट यूपी नोडल एजेंसी नामित

जीसीसी नीति मंजूर, निवेश-रोजगार बढ़ेगा

कैबिनेट फैसला 1

लखनऊ, विशेष संवाददाता। प्रदेश में निवेश और रोजगार सृजन की गति बढ़ाने के लिए उप्र वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) नीति-2024 की नियमावली तैयार की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक में नियमावली-2025 को स्वीकृति दी गई। इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की गई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 21 कंपनियों ने इसमें निवेश प्रारंभ कर दिया है। इन कंपनियों में 10 हजार से अधिक नौकरियां मिलेंगी।

औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने बताया कि जीसीसी नीति बहुत लाभप्रद है और इससे उच्च कौशल आधारित निवेश बढ़ेगा। कैबिनेट से पास नियमावली के तहत इन्वेस्ट यूपी को नोडल एजेंसी नामित किया गया है। यह नियमावली जीसीसी नीति-2024 के जारी होने की तिथि से प्रभावी मानी जाएगी और राज्य सरकार द्वारा संशोधन अथवा समाप्त किए जाने तक लागू रहेगी।

मंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश का माहौल बेहतर हुआ है, जिससे निवेश करने के लिए उद्योग घराने व बहुराष्ट्रीय कंपनियां संपर्क में हैं। नियमावली के अनुसार जीसीसी का काम किसी भारतीय अथवा विदेशी कंपनी द्वारा स्थापित एक कैप्टिव इकाई होगी, जो सूचना प्रौद्योगिकी, अनुसंधान एवं विकास, वित्त, मानव संसाधन, डिजाइन, इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स और नालेज सर्विसेज जैसे रणनीतिक कार्यों का निपटारा करना है। इन कार्यों की संस्तुति तकनीकी अध्ययन समूह (टीएसजी) करेगा। टीएसजी के अध्यक्ष इन्वेस्ट यूपी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी होंगे। नियमावली में जीसीसी इकाइयों को आकर्षित करने के लिए कई तरह के वित्तीय प्रोत्साहन शामिल किए गए हैं। इनमें फ्रंट एंड लैंड सब्सिडी, स्टांप ड्यूटी में छूट अथवा प्रतिपूर्ति, पूंजीगत सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी, संचालन व्यय (ओपेक्स) सब्सिडी, पेरोल व भर्ती सब्सिडी, ईपीएफ प्रतिपूर्ति, प्रतिभा विकास व कौशल प्रोत्साहन, अनुसंधान व नवाचार प्रोत्साहन समेत साथ केस-टू-केस आधार पर विशेष प्रोत्साहन भी शामिल हैं।

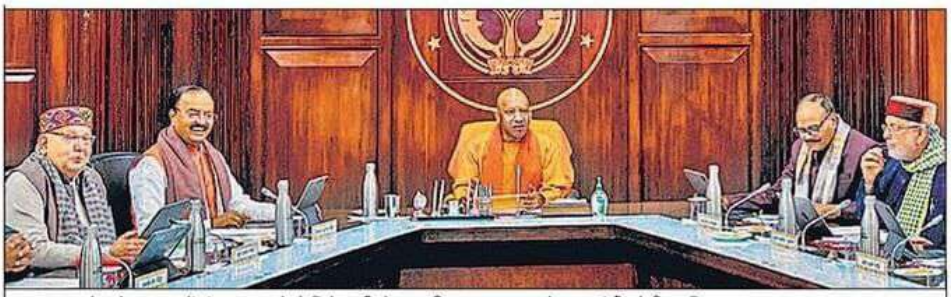

लखनऊ के लोकभवन में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।

केंद्र की योजनाओं का अतिरिक्त लाभ मिलेगा

नियमावली में स्पष्ट किया गया है कि इसके तहत मिलने वाले सभी प्रोत्साहन व लाभ केंद्र सरकार की किसी भी योजना अथवा नीति के तहत मिलने वाले लाभों के अतिरिक्त होंगे। किसी विधिक विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्राधिकार केवल लखनऊ स्थित न्यायालयों का होगा। स्वीकृत प्रोत्साहन राशि का वितरण वित्त विभाग के नियमों व शासनादेशों के तहत होगा।

क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी के 12 पद प्रमोशन से भरेंगे

लखनऊ। योगी कैबिनेट ने अब क्षेत्रीय **2** क्रीड़ा अधिकारी के 12 पद प्रमोशन से भरे जाने की अनुमति दी है। क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारियों के 18 पद हैं। पहले 9 पद प्रमोशन से जबकि 9 पद सीधी भर्ती से भरे जाने की अनुमति थी। अब विभागीय प्रमोशन से दो तिहाई पद भरेंगे जबकि एक तिहाई पर सीधी भर्ती होगी। अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ी भी इनमें होंगे।

दो साल में तैयार हो जाएगा पीलीभीत का नया बस अड्डा

पीलीभीत का नया बस अड्डा दो साल में **3** बनकर तैयार हो जाएगा। मंगलवार को योगी कैबिनेट ने 7000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल जमीन की स्वीकृति दी है। राज्य मुख्यालय से तकरीबन एक किलोमीटर दूर बनने वाले इस बस अड्डे के लिए जमीन 30 साल की लीज पर दी गई है। यह लीज तीस-तीस साल के लिए दो बार बढ़ाई जा सकती है।

21 कंपनियों ने इनमें शुरू किया निवेश, मिलेंगी 10 हजार से अधिक नौकरियां

दो जिलों में उप निबंधक कार्यालय के लिए भूमि

लखनऊ। राज्य सरकार ने कुशीनगर **4** और झांसी में उप निबंधक कार्यालय खोलने के लिए भूमि की व्यवस्था कर दी है। स्टांप एवं पंजीकरण विभाग को यह भूमि मुफ्त दी जाएगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ।

कानपुर पीएसी वाहिनी में बनेंगे 108 नए आवास

कैबिनेट ने 37वीं वाहिनी पीएसी, कानपुर **5** के जर्जर आवासीय भवनों को ध्वस्त किए जाने के प्रस्ताव को भी अनुमति दी है। यहां टाइप-वन स्पेशल के 108 नए आवास बनाए जाएंगे।